

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर

पत्रांक – 182-मेड/कानपुर/2017/अल्ट्रासाउण्ड

दिनांक- 07-08-2017

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

उपमंडलीय चिकित्सालय, उ०म०रे० कानपुर में बर्हिंस्रोतों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड जाँच सेवायें प्रदान करने हेतु विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, कानपुर अल्ट्रासाउण्ड जांच से सम्बन्धित योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना डायग्नोस्टिक सेन्टर चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पन्द्रह (15)दिन के अन्दर सोजीएचएस (एन.ए.बी.एल. नॉन-एन.ए.बी.एल.) 2017-18 कानपुर की दरों पर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आव" यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-कानपुर द्वारा पंजीकृत होना आव" यक है। एनएबीएल डायग्नोस्टिक सेंटरों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

- 1 रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आव" यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला – कानपुर द्वारा पंजीकृत होना आव" यक है। एनएबीएल डायग्नोस्टिक सेंटरों को प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जायेगी।
- 2 डायग्नोस्टिक सेन्टर की सेवायें नॉन-एनएबीएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017-18 कानपुर की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।
- 3 रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/कानपुर द्वारा किये गये काउंटर हस्ताक्षर उपरान्त रैफर पत्र के साथ आपके पास जाँच हेतु भेजा जायेगा।
- 4 अधिकृत रेल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
- 5 भुगतान की पद्धति नॉन-एनएबीएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017-18 कानपुर की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी।
- 6 समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा Arbitration Act (26) 1966 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की द" ा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। असहमति की द" ा में प्रकरण जिला न्यायालय, कानपुर के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
- 7 नामांकन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, कानपुर द्वारा प्रमाणित नॉन-एनएबीएल अथवा एनएबीएल सीजीएचएस 2017-18 कानपुर की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, एक सील बन्द लिफाफा के अन्दर उचित समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०म०रे०, कानपुर (उ०प्र०) 208004 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में समय का वि" शेष ध्यान रखते हुए प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे (" ानिवार को दोपहर 01:00 बजे तक) जमा करें।

व०म०चि०अधिकारी
उ०म०रे०, कानपुर

EXPRESSION OF INTEREST

ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE ULTRASOUND SERVICES FOR SUB. DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL, KANPUR

CMS/NORTH CENTRAL RAILWAY/Kanpur is inviting applications from qualified Radiologists and running Diagnostic Centers for outsourcing the investigations of Ultrasound. Willing Radiologist and Diagnostic Centers owner need to apply within 30 (Thirty) days at CGHS Rates of N.A.B.L./Non N.A.B.L. publication of this ADVERTISEMENT.

Following conditions are mandatory -

1. The Radiologist should have a well equipped & registered diagnostic Center (registered with Chief Medical Officer/District Kanpur). NABL Diagnostic Centre will be preferred at first priority basis.
2. The rates of ultrasound investigation should be based on Non-NABL or NABL CGHS 2017 -18 Kanpur rates list, which will be applicable for complete three years .
3. Railway patients will be referred to you with a proper reference letter from Sub Division Railway Hospital, North Central Railway Kanpur Signed by authorized Medical Officer & counter signed by CMS/Kanpur.
4. No payment will be charged from Railway Employees, their dependents & retired railway employees duly referred by authorized Railway Medical Officer.
5. The mode of payment will be done on bill system based on Non-NABL or NABL CGHS 2017-18 Kanpur rate list.
6. All the disputes or differences will be resolved by Arbitrator deputed by G.M/NCR/Allahabad, the Arbitration Act (26) of 1996 will be applicable for this, if disagreed with the decision of the Arbitrator an appeal can be made to G.M./NCR/Allahabad & his decision will be accepted by both the parties, further disagreeing upon the matter can be taken to Kanpur district court.
7. All documents containing copy of registration certificate, experience proving documents, Non-NABL or NABL CGHS 2017-18 Kanpur rate list, with the signature of the Radiologist on every page in a sealed envelope should be deposited in proper time in the office the Chief Medical Superintendent/North Central Railway /Kanpur (U.P.) 208004 during office hours from 10 A.M. to 5:00 PM (01:00 PM on Saturday) on all working days.

Sr.DMO/SDH/CNB

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर

पत्रांक- 182-मेड/कानपुर/ अल्ट्रासाउण्ड/ 2017.

दिनांक- 07-08-2017

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

उपमंडलीय चिकित्सालय, उ०म०रे० कानपुर में बर्हिंसोतों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड जाँच सेवायें प्रदान करने हेतु विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, कानपुर अल्ट्रासाउण्ड जांच से सम्बन्धित ऐसे इच्छुक योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकारात होने के तीस (30)दिन के अन्दर सीजीएचएस (एन.ए.बी.एल. नॉन-एन.ए.बी.एल.) 2017.-18 कानपुर की दरों पर ऑफर हेतु आवेदन फार्म उपमंडलीय चिकित्सालय/कानपुर के कार्यालय से प्रातः 11.00 बजे से साँय 04.00 बजे तक कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं ।

संक्षिप्त तकनीकी अर्हताओं एवं नियम से संबंधित जानकारी आवेदन फार्म म उपलब्ध है ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ०म०रे०, कानपुर

No-182-Med/CNB-2017/ ULTRASOUND

Dated:-07.08.2017

EXPRESSION OF INTEREST

**ADVERTISEMENT FOR OUTSOURCING THE ULTRASOUND
SERVICES FOR SUB. DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL, KANPUR**

CMS/NORTH CENTRAL RAILWAY/Kanpur is inviting applications from qualified Radiologists and running Diagnostic Centers for outsourcing the investigations of Ultrasound. Willing Radiologist and Diagnostic Centers owner need to apply within 30 (Thirty) days at CGHS Rates of N.A.B.L./Non N.A.B.L.(2017-18) publication of this ADVERTISEMENT, Application form available from Sub.Div.Hospital office at 11 o'clock to 4 p.m any working day.

Information of technical guidelines & criteria available in the application form.

Chief Medical Supdtt.
NCR, Kanpur